SHRI INDRAJIT GUPTA: The difficulty in reply to Mr. Ghosh is that he will get identified with that campaign. He does not want to get identified.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Will the Hon. Minister be pleased to say—because he had referred to a resolution of 1968 and said that a minimum requirement has been mentioned—whether there is any limit on the other side namely whether any maximum limit has been fixed.

SHRI S. B. CHAVAN: The recommendations of the Education Commission had only mentioned the minimum limit. But if any State Government would like to do more than what has been recommended, that will be a welcome step. (*Interruptions*)

PROF. K. K. TEWARY: The educational policy of West Bengal Government has already kicked up lot of dust. In view of the controversy in the House and outside, I would like to known from the hon. Minister whether it is a fact that the educational institutions in West Bengal are being converted into Marxist *Pathasalas*. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Daulat Ram Saran, Q. No. 692.

PROF. K. K. TEWARY: I also want to know whether the Syndicate and the Senate of Calcutta University have been dissolved. (*Interruptions*)*

MR. SPEAKER: Do not record anything.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Q. No. 692. Shri Daulat Ram Saran.

*Not recorded.

आवंटित न की गई भूमि का आवंटन

*692. **श्री दौलत राम सारण :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों को लोनी रोड पर बिना भूमि अर्जन किए ही प्लाटों का आवंटन कर दिया गया था परन्तु पंजीकरण के बाद भू-स्वामियों ने आवंटियों को कब्जा न लेने दिया और इस कारण से उन्हें इन प्लाटों के बदलने में प्रीतमपुरा और हैदरपुरी में प्लाट आवंटित किए गए थे ; और यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम और पद क्या हैं ।

(ख) लोनी रोड, प्रीतमपुरा और हैदरपुर में क्रमश: भूमि की लागत क्या क्या है ;

(ग) क्या उन अधिकारियों से भूमि के मूल्य में अन्तर की राशि वसूल की गई थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी हानि हुई और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लोनी रोड पर भूमि के पंजीकरण पर क्या खर्च किया है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF): (a) 2175 persons were allotted LIG plots at Loni Road by the DDA in 1975. The information whether an applicant is an officer or not is not specifically entered in the registers of the D.D.A. After allotment it was brought to the notice of DDA that a major chunk of the area was under cultivation and the cultivators had taken stay orders from the High Court. Alternative allotments were, therefore, made to the persons concerned in other colonies *viz.* Yamunapuri (Ghonda) Paschimpuri, Vikaspuri and Haiderpuri.

(b) The cost of land per sq. mtr. charged is as under:—

Loni Road	Rs. 60/-
Pitampura	Rs. 84/-
Haiderpuri	Rs. 82/-

(c) the Delhi Development Authority has reported that the difference in the cost was not charged as per decision of the Authority.

(d) The DDA is reported to have incurred a loss of about Rs. 22 lakhs.

(e) Rs. 6 lakhs approximately.

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूचना मांगी है, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में वह नहीं दी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लोनी रोड पर बिना भूमि का अर्जन किये हुए आवंटियों का प्लाटों का आवंटन कर दिया गया था, यदि हां, तो क्या यह कार्य अनियमित नहीं था; यदि था, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था । मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है ।

क्या यह सही है कि बिना भूमि अधिगृहीत किये हुए और बिना कब्जा लिए हुए पंजीकरण किया गया और पंजीकरण पर लगभग छः लाख रुपया व्यय किया गया, यदि हां, तो क्या यह कार्य भी अनियमित और असांविधानिक नहीं था, अगर था, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस बारे में एनक्वायरी की जायेगी ?

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : बात यह है कि मैं सिर्फ पार्ट (ए) को पढ़ सका था। चूंकि दूसरे मेम्बर साहबान बोलने लगे, इस लिए मैं जवाब के दूसरे हिस्से, (बी), (सी), (डी) और (ई) को नहीं पढ़ सका मैं उसको अब पढ़ देता हूं :—

(b) The cost of land per sq. mtr. charged is as under:—

Loni Road	....Rs. 60/-
Pitampura	....Rs. 84/-
Haiderpuri	....Rs. 82/-

(c) The Delhi Development Authority has reported that the difference in the cost was not charged as per decision of the Authority.

(d) The DDA is reported to have incurred a loss of about Rs. 22 lakhs.

(e) Rs. 6 lakhs approximately.

श्री दौलत राम सारण : यह उत्तर जो मंत्री जी ने दिया है उस के सन्दर्भ में ही मैं ने यह जानकारी चाही है । आप ने इस प्रश्न में यह नहीं बताया है जो मैंने पूछा है । भूमि बिना अर्जन किए ही आपने लोगों को आवंटित कर दी, क्या यह सही है ? यदि हां, तो यह अनियमित कार्य है या नहीं ? अगर अनियमित है तो इस के लिए कौन जिम्मेदार है ?

दूसरा मेरा यह सवाल है, क्या यह सही है कि बिना भूमि अधिकृत किए ही, बिना कब्जा लिए ही पंजीकरण किया गया और उस पर करीब 6 लाख रुपया व्यय किया गया जो आप ने अन्त में उत्तर दिया है ? क्या यह कार्य भी अनियमित नहीं था ? अगर अनियमित था और इस पर इतना खर्च किया गया तो इस के लिए किसी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : डी डी ए से जो सूचना मिली है उस के आधार पर यह जमीन एक्वायर हुई लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में मुकदमा हो गया और हाई कोर्ट से स्टे हो गया, अभी भी मुकदमा बल्कि चल रहा है, इसी की वजह से माननीय सदस्य को मुझे लगता है कुछ गलतफहमी शायद हुई । यही कारण था कि जिन लोगों को प्लाट मिलने थे उन लोगों ने रेप्रेजेन्ट किया डी डी ए को और चूंकि हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा था और इस को ध्यान में रखते हुए कि विलम्ब होगा, इसी वजह से दूसरे आलटरनेटिव एरियाज में जैसे प्रीतमपुरा में और हैदरपुरी में इन को प्लाट दिए गए ।

श्री दौलत राम सारण : मेरी बात का उत्तर नहीं दिया गया । अगर हाई कोर्ट का स्टे था तो पंजीकरण क्यों किया गया

[श्री दौलत राम सारण]

अगर भूमि का अधिकरण नहीं किया गया था, और उस पंजीकरण पर 6 लाख रुपया क्यों खर्च किया गया ? अगर पंजीकरण पर छः लाख रुपया खर्च किया गया तो आप का यह उत्तर सही नहीं है कि कब्जा नहीं लिया हुआ था । कब्जा बिना लिए हुए पंजीकरण कैसे कर दिया गया ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप जानते ही हैं प्रोसेस कि जब कोई जमीन अर्जित करने के लिए कार्यवाही होती है तो उस के साथ साथ उस में प्लाट किस को मिले इस के लिए भी कार्यवाही शुरू होती है.... **(व्यवधान)** यही होता है । लेकिन हां, यह बात ठीक है कि जब पजेशन डी डी ए ले लेती है उस के बाद प्लाट का आवंटन होता है । यह तो ठीक है । लेकिन इस केस में तो मैं ने बताया कि इस का प्रोसेस चल रहा था, हाई कोर्ट में मुकदमा हो गया जिस की वजह से विलम्ब हो गया और जिन लोगों ने पंजीकरण करा लिया था उन को इसीलिए दूसरी जगह प्लाट दिया गया यह तो मैंने बताया है ।

श्री दौलत राम सारण : बिना जमीन का अधिकरण किए हुए पंजीकरण नहीं किया जा सकता । यह अनियमित है । यह मेरी आपत्ति है इस पर और आप इस को जबर्दस्ती दबा रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि आप ने भूमि का अधिकरण किया नहीं, कब्जा लिया नहीं और कब्जा बिना लिए ही आप ने पंजीकरण पर पैसा व्यय कर दिया और फिर उन लोगों को उन अधिकारियों ने उस से ज्यादा कीमत की जो जमीन थी वह दे दी, उसमें 28 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा । आप उन लोगों को छिपाना चाहते हैं, उन के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं । 22 लाख और 6 लाख, 28 लाख का घाटा इस में हुआ, इस घाटे की उन से वसूली नहीं करना चाहते और इस को छिपाना चाहते हैं ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : जवाब में मैं ने बता ही दिया । अब और दूसरी क्या सूचना दूं । मैंने बताया कि चूंकि 2175 लोगों का पंजीकरण हुआ था और हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ, इसी को ध्यान में रख कर कि वह सफर न करें डी डी ए ने उन को दूसरी एरिया में प्लाट देने का डिसीशन लिया ।

श्री दौलत राम सारण : मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या इस जमीन का अधिकरण कर लिया गया था ?

श्री हरिकेश बहादुर : वह जो कैन्टीन दी गई उस का इंजीनियर प्रोमोट कर दिया गया है जब कि उस के खिलाफ एन्क्वायरी चल ही रही थी, तो प्रोमोशन कैसे बीच में ही कर दिया गया ?

श्री भीष्म नारायण सिंह: इस के लिए हरिकेश बहादुर जी को अलग से सूचना देनी होगी ।

श्री दौलत राम सारण : बड़ आश्चर्य की बात है मंत्री जी इतने बड़े घपले को छिपाना चाहते हैं ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : सम्मानित सदस्य को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी घपला डी डी ए का हो या किसी का भी हो उस को न तो छिपाया जायगा, न दबाया जायगा, न किसी घपला करने वाले का प्रोटेक्शन दिया जायगा ।

श्री दौलत राम सारण : जो ऊंची कीमत की भूमि उन को एलाट कर दी गई और बिना भूमि अधिकृत किए हुए ही पंजीकरण किया गया, 6 लाख रुपया उस पर खर्च किया गया और 22 लाख रुपये की ऊंची कीमत की भूमि उन का एलाट कर दी गई आप उस की एन्क्वायरी नहीं करना चाहते ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : अब मैं इस का और क्या जवाब दूं, मैंने जवाब तो दिया है ।